

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सरदारशहर (जिला चूरु)

पीठासीन अधिकारी— श्रीमती रीना (आर.ए.एस.)

वादपत्र संख्या 72/2020

अनुवान हरलाल बनाम राजस्थान सरकार

वादपत्र अन्तर्गत धारा 88 आर. टी. एक्ट

एवं धारा 136 एल. आर. एक्ट

निर्णय दिनांक 23.11.2020

हरलाल पुत्र सुखराम जाति जाट निवासी भादासर उत्तरादा तहसील सरदारशहर जिला चूरु राजस्थान

—वादी —

बनाम्

राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, सरदारशहर जिला चूरु

—प्रतिवादी—

उपस्थिति:

1. एडवोकेट श्री रामनिवास सारण, श्री अमरचन्द सिद्ध वास्ते वादी।
2. तहसीलदार सरदारशहर वास्ते प्रतिवादी।

निर्णय

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि वादी की संयुक्त खातेदारी कब्जा काश्त की कृषि भूमि ख0 नं0 250, 251, 259 तादादी क्रमशः 0.0100, 7.6200, 1.0500 हैक्टेयर रोही भादासर उत्तरादा तहसील सरदारशहर में स्थित है। जिसमें वादी का 1/3 हिस्सा स्थित है। वादगत भूमि के राजस्व अभिलेखों में वादी का नाम हरिराम पुत्र सुखराम अशुद्ध दर्ज है। जबकि वादी का शुद्ध नाम हरलाल पुत्र सुखराम है। वादगत कृषि के अन्य सह काश्तकारों का वाद पक्षकार नहीं बनाया गया है क्योंकि वादी के नाम संशोधन से उनके हितों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा इसलिए उन्हें बिना पक्षकार बनाये ही वाद प्रस्तुत किया जा रहा है। वादगत कृषि भूमि वादी की खातेदारी कब्जा काश्त की कृषि भूमि है। वादी के पिता के स्वर्गवास के पश्चात नामान्तरण दर्ज करते समय राजस्व कर्मचारियों की सहवन से रही लिपिकीय त्रुटि के कारण वादी का नाम हरिराम पुत्र सुखराम दर्ज किया गया। उसके पश्चात लगातार राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी में वादी का नाम हरिराम पुत्र सुखराम अशुद्ध चला आ रहा है। जबकि वादी का शुद्ध नाम हरलाल पुत्र सुखराम है। वादगत कृषि भूमि में वादी का नाम

अशुद्ध दर्ज है। वादगत भूमि का वादी खातेदार काबिज काश्तकार होने से सहबन से अशुद्ध दर्ज प्रविष्टी को शुद्ध करवाने की घोषणा करवाने का कानूनन अधिकारी है तथा इसी अनुरूप राजस्व अभिलेख शुद्धि करवाने का अधिकारी है।

वादी का नाम अन्य दस्तावेजों मतदाता पहचान पत्र, राशन कार्ड, आधार कार्ड, मूल निवास प्रमाण, शैक्षणिक दस्तावेज व अन्य दस्तावेजों में हरलाल पुत्र सुखराम अंकित है जो सही है। वादी का नाम हरिराम पुत्र सुखराम हस्तगत अभिलेख के अतिरिक्त कहीं भी अंकित नहीं है। इसलिए राजस्व रिकॉर्ड में नाम शुद्ध करवाने का वादी कानूनन अधिकारी है। वादी का वास्तविक नाम हरलाल पुत्र सुखराम है जबकि वादगत कृषि भूमि के राजस्व रेकॉर्ड जमाबन्दी में वादी का हरिराम पुत्र सुखराम होने के कारण वादी को विभिन्न सरकारी योजनाओं व अन्य कार्यों में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है तथा राजस्व रिकॉर्ड व अन्य दस्तावेजों में अलग-अलग नाम होने से कई कानूनी पेचिदगियों का सामना वादी को करना पड़ता है। इसलिए वादी के लिए यह आवश्यक हो गया है कि राजस्व रेकॉर्ड में भूलवश गलत दर्ज नाम हरिराम पुत्र सुखराम के स्थान पर सही नाम हरलाल पुत्र सुखराम दर्ज करवाये जिसके लिए यह दावा वादी की ओर से प्रस्तुत किया गया है।

वादी ने कभी अपनी कृषि भूमि के राजस्व रेकॉर्ड का पता नहीं किया। अब वादी ने पटवारी हल्का से राजस्व रिकॉर्ड की नकले प्राप्त करने गया तथा अपना खाता केन्द्र से नकले हासिल की तो वादी को इस गलत राजस्व रेकॉर्ड की जानकारी हुई। राजस्व रेकॉर्ड की नकले प्राप्त करने के बाद वादी तहसीलदार सरदारशहर से मिला और इस गलत राजस्व रिकॉर्ड में संशोधन कर वादी का नाम संशोधित करने का निवेदन किया तो तहसीलदार जी ने कहा SDO साहब के यहां कार्यवाही करो। इस प्रकार तहसीलदार सरदारशहर द्वारा इन्कार करने से दावा प्रस्तुत करने का कारण व दावा प्रस्तुत का हेतुक वादीगण की खातेदारी कृषि भूमि होने से है।

इस प्रकार वादी ने वाद पेश कर स्वयं की वादगत कृषि भूमि ख0 नं0 250, 251, 259 तादादी क्रमशः 0.0100, 7.6200, 1.0500 हैक्टेयर रोही भादासर उतरादा तहसील सरदारशहर जिला चूरु वादी की खातेदारी कृषि भूमि है जिस भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में वादी का नाम हरिराम पुत्र सुखराम अशुद्ध दर्ज है जिसे शुद्ध कर वादी का सही नाम हरलाल पुत्र सुखराम दर्ज करवाने का निवेदन किया है।

वाद पेश होने पर इसे दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को तलब किया गया। राज पैरोकार उपस्थित आये एवं जबाब दावा पेश किया जिसके अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में वादी का नाम हरिराम पुत्र सुखराम अशुद्ध दर्ज है जिसे शुद्ध कर सही नाम हरलाल पुत्र सुखराम घोषित किया जाता है तो राज्य पक्ष ने ऐतराज नहीं होना जाहिर किया है।

वादी द्वारा साक्ष्यवादी में निम्नांकित प्रदर्श प्रस्तुत किये गये—

1. जमाबन्दी सम्वत् 2076-2079 खसरा नम्बर 250, 251, 259 की छायाप्रति।
2. पटवारी भू.अ., प.स. भादासर दिखनादा तहसील सरदारशहर द्वारा जारी नामान्तरण की

प्रमाणित प्रति।

3. जमाबन्दी सम्बन्ध 2052 की प्रमाणित प्रति।
4. जिला स्तरीय परीक्षा संचालन समिति, (डाइट) चूरु राज. द्वारा कक्षा आठवीं की प्रमाण-पत्र व अंक तालिका।
5. वादी के आधार कार्ड की छायाप्रति।
6. वादी के मतदाता फोटो पहचान पत्र की छायाप्रति।
7. वादी के राशन कार्ड की छायाप्रति।

पत्रावली में प्रस्तुत समस्त दस्तावेजात, शपथ पत्र एवं सम्पूर्ण पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया गया एवं बहस के दौरान उभय पक्षकारान द्वारा दिये गये तर्कों पर विचार किया गया जिससे यह सामने आया कि वादी द्वारा प्रस्तुत समस्त दस्तावेजों में वादी का नाम हरलाल अंकित है।

अतः वर्णित विवेचन से वाद पुष्ट एवं प्रमाणित पाया जाता है अतः वाद वादी डिक्री किया जाकर घोषित किया जाता है कि कृषि भूमि ख0 नं0 250, 251, 259 तादादी क्रमशः 0.0100, 7.6200, 1.0500 हैक्टेयर रोही भादासर उत्तरादा तहसील सरदारशहर जिला चूरु वादी की खातेदारी कृषि भूमि है जिस भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में वादी का नाम हरिराम पुत्र सुखराम अशुद्ध दर्ज है जिसे शुद्ध कर वादी का सही नाम हरलाल पुत्र सुखराम दर्ज किये जाने के आदेश प्रतिवादी तहसीलदार सरदारशहर को दिये जाते हैं। पर्चा डिक्री जारी हो। निर्णय उपरान्त यदि वादगत भूमि रहन हैं तो रहन यथावत रहेगा।

क्र. सं.	ग्राम	खसरा नम्बर	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी हैं)
1.	भादासर उत्तरादा	250, 251, 259	हरिराम पुत्र सुखराम	हरलाल पुत्र सुखराम

रीना (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
सरदारशहर (चूरु)

निर्णय आज दिनांक 23.11.2020 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

रीना (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
सरदारशहर (चूरु)

डिक्री ब मुकद्देमें इब्तदाई
(ऑर्डर 20,रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)
(Civil Procedure Code, Appendix 'D')

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, सरदारशहर
पीठासीन अधिकारी- श्रीमती रीना (आर. ए. एस.)

वादपत्र संख्या 72/2020

अनुवान हरलाल बनाम राजस्थान सरकार

वादपत्र अन्तर्गत धारा 88 आर. टी. एक्ट

एवं धारा 136 एल. आर. एक्ट

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रुबरू हमारे व हाजरी श्री रामनिवास सारण एडवोकेट, श्री अमरचन्द सिद्ध एडवोकेट एवं पैरोकार राज मिनजानिब मुदायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है तथा वाद वादी डिक्री किया जाकर घोषित किया जाता है कि कृषि भूमि ख0 नं0 250, 251, 259 तादादी क्रमशः 0.0100, 7.6200, 1.0500 हैक्टेयर रोही भादासर उत्तरादा तहसील सरदारशहर जिला चूरु वादी की खातेदारी कृषि भूमि है जिस भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में वादी का नाम हरिराम पुत्र सुखराम अशुद्ध दर्ज है जिसे शुद्ध कर वादी का सही नाम हरलाल पुत्र सुखराम दर्ज किये जाने के आदेश प्रतिवादी तहसीलदार सरदारशहर को दिये जाते हैं। निर्णय उपरान्त यदि वादगत भूमि रहन हैं तो रहन यथावत रहेगा।

.....बीज.....मुबलिबाबत खर्चा इस मुकदमें के मय सूद व शरह फीसदी सालानी आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक को अदा करें। मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 23 माह 11 सन् 2020 को जारी की गई।

दस्तखत.....

मुहर

ओहदा

मुदई	रूपया	पै.	मुदायलाहा	रूपया	पै.
स्टाम्प अरजीदावा	02	00	स्टाम्प वकालतनामा	00	00
स्टाम्प वकालतनामा	01	00	स्टाम्प अर्जी	00	00
स्टाम्प वजह सबूत	00	00	स्टाम्प वजह सबूत	00	00
महनताना वकील	00	00	महनताना वकील	00	00
खर्चा गवाहान	00	00	खर्चा गवाहान	00	00
फीस कमिश्नर	00	00	फीस कमिश्नर	00	00
बाबत इजराय हुक्मनामा	00	00	बाबत इजराय हुक्मनामा	00	00
मुतफर्रिक	02	00	मुतफर्रिक	00	00
मिजान	05	00	मिजान	00	00

